42 A/ 2023

तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
	11/3/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। प्रार्थीनी अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया कि विप्रार्थी पक्ष लम्बे समय से जवाब पेश नही कर रहे है,जो जवाब बन्द कर बहस सुनी जावें। विप्रार्थी को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने के कारण जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीनी/वादीनी माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्राथीर्नी के पक्ष में नहीं बनते है। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा